A-592/2023

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

पृ. क्र. ...... (5)

नस्ती क्र. ......

विषय : विनय जी डेविड

क. ए–592/2023/जबलपुर/12376 भोपाल, दिनांक 16·9·2०-

प्रतिलिपि–

1. श्री विनय जी डेविड
पता–1293,बाई का बगीचा,तीसरी गली,
घमापुर,जबलपुर
जिला–जबलपुर (म.प्र.)

2. लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी,जबलपुर
वीरागंना रानी दुर्गावती खेल परिसर रानीताल जबलपुर
जिला–जबलपुर (म.प्र.)

3. श्री आशीष पाण्डे
तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी
संभागीय खेल अधिकारी,
कार्यालय जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी,जबलपुर
जिला–जबलपुर (म.प्र.)
(एससीएनपत्र संलग्न)

4. अपीलीय अधिकारी
जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी,जबलपुर
जिला–जबलपुर (म.प्र.)

26/09/2025 20:08

प्रवाचक
जबलपुर संभाग
म0प्र0राज्य सूचना आयोग भोपाल

शाकंमुभो–781– अभरामुअभो–13-3-23–40,000.

विषय : द्वितीय अपील विनय जी डेविड विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी कार्यालय,जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी,जबलपुर जबलपुर एवं अपीलीय अधिकारी कार्यालय जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी,जबलपुर । आवेदन दिनांक 05.09.2022 के संबंध में जानकारी चाही गई।

ए– 592 / 2023
दिनांक 29.08.2025

अपीलार्थी श्री विनय जी डेविड उपस्थित।

लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डे, संभागीय खेल अधिकारी, कार्यालय जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी, जबलपुर उपस्थित।

अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (एतद् पश्चात् संक्षेप में "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 6 (1) के तहत प्रस्तुत आवेदन दिनाँक 05.09.2022 के माध्यम से निम्न जानकारी चाही गई थीः–

1. मध्य प्रदेश तीरदांजी एकेडमी में 01 अप्रेल 2016 से आज दिनांक 05/09/22 तक का स्टॉक रजिस्टर ही प्रमाणित प्रतियां।
2. उक्त अवधि में खेल सामग्री एवं उपकरण के स्टाक की सपूर्ण (जानकारी सूची)।
3. स्टाक मेन्टमेन्स रख रखाव अधिकारी के नाम पद आदेशों की प्रमाणित प्रतियॉं।
4. सचालक खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा उक्त अवधि में कितने उपकरण/सामग्री प्रदान की गई, आदेशों की प्रतिया सूची सहित एवं समस्त बिल बाउचर आंवटन की प्रमाणित प्रतियाँ। डिलीवरी चालान की रसीद की प्रमाणित प्रतियां।
5. किन–किन छात्र–छात्राओं को उपकरण आवंटित किये गये, उनके नाम, पता, सूची की प्रमाणिता प्रतियॉं।

अपीलार्थी द्वारा व्यक्त किया गया कि आवेदन दिनांक 05.09.2022 में चाही गई जानकारी अप्राप्त है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना का अधिकार के अंतर्गत प्रस्तुत दो आवेदनों को लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत गलत आधार पर पत्र दिनांक 30.09.2022 के माध्यम से निरस्त किया गया है। अतएव आवेदन में चाही गई जानकारी दिलाये जाने एवं लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया गया।

Contd

A. Pandey DSO Jabalpur 29/8/2025

विनय जी डेविड

26/09/2025 20:09

द्वितीय अपील विनय जी डेविड विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी कार्यालय,जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी,जबलपुर जिला जबलपुर एवं अपीलीय अधिकारी कार्यालय जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी,जबलपुर । आवेदन दिनांक 05.09.2022 के संबंध मे जानकारी चाही गई।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा व्यक्त किया गया कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन के साथ आवेदन–शुल्क हेतु प्रस्तुत पोस्टल ऑर्डर में भुगतान प्राप्त करने वाले कार्यालय का नाम उल्लेखित नहीं कर निरंक/कोरे होने के कारण आवेदन शुल्क के अभाव में पत्र दिनांक 30.09.2022 के माध्यम से आवेदन निरस्त किया गया था।

प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 05.09.2022 में चाही गई जानकारी के प्रकटन में अधिनियम की धारा 8 एवं 9 के प्रावधानों की बाधा नहीं आने से जानकारी प्रकटन योग्य है। अतः लोक सूचना अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि आदेश प्राप्ति के एक माह की अवधि में अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 05.09.2022 में चाही गई जानकारी संबंधी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियॉ निःशुल्क अपीलार्थी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अथवा यदि वांछित जानकारी के किसी भाग से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं है तो तदाशय की स्पष्ट लिखित सूचना अपीलार्थी को प्रदाय करना सुनिश्चित करे।

सामान्यतः आम नागरिक को यह ज्ञात नहीं होता कि कार्यालय में भुगतान किस अधिकारी के नाम देय होगा, इसलिए उक्त संभावना के दृष्टिगत ही आवेदक द्वारा पोस्टल ऑर्डर में प्रस्तुत करने वाले के स्थान पर अपना नाम तो उल्लेखित किया गया था परन्तु भुगतान पाने वाले का स्थान रिक्त रखा गया था। लोक सूचना अधिकारी सदभावी कार्यवाही कर उक्त स्थान पर भुगतान प्राप्त करने वाले अधिकारी/कार्यालय का नाम उल्लेखित करवा सकते थे तथा अधिनियम के अनुसार सहयोग करने का उनका दायित्व है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 05.09.2022 अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत निरस्त किया गया है, जो कि अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन है। उक्त कृत्य अधिनियम की धारा 20 के तहत कार्यवाही योग्य है। अतः तत्कालीन लोक

26/09/2025 20:09

विषय द्वितीय अपील विनय जी डेविड विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी कार्यालय,जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी,जबलपुर जिला जबलपुर एवं अपीलीय अधिकारी कार्यालय जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी,जबलपुर। आवेदन दिनांक 05.09.20 के संबंध में जानकारी चाही गई।

सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डे संभागीय खेल अधिकारी, कार्यालय जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी, जबलपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत रूपये 25,000/– की शास्ति अधिरोपित करने तथा/अथवा धारा 20(2) के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा करने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाये।

प्रकरण के अवलोकन में यह भी पाया गया कि अपीलार्थी के प्रस्तुत प्रथम अपील दिनांक 02.11.2022 का प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा अधिनियम की धारा 19(1) के प्रावधान अनुसार समयावधि में निराकरण आदेश पारित नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, जबलपुर के उक्त कृत्य के लिए आयोग निन्दा व्यक्त करता है तथा समझाईश दी जाती है कि भविष्य में अधिनियम के प्रावधान अनुसार गुण–दोष के आधार पर समयावधि में प्रथम अपील का निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें।

तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आशीष पाण्डे की व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक 23.10.2025 को प्रातः 11.00 नियत की जाती है।

(ओंकार नाथ)
राज्य सूचना आयुक्त
29 अगस्त, 2025

प्रवाचक

शाकेमुभो—561—असरासुआभो—12-10-22—20,000.

श्री आशीष पांडे
लोक सूचना अधिकारी
संभागीय खेल अधिकारी और
जिला खेल और युवा कल्याण
अधिकारी, जबलपुर